

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गइ कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पाकुड़।

राजस्व विविध वाद सं०-22/2023-24

दीपक कुमार-बनाम-अंचल अधिकारी, महेशपुर

—: आदेश :—

प्रस्तुत वाद श्री दीपक कुमार, पिता-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम-सीमपुर, पो०-धर्मखोँपाड़ा द्वारा मौजा-सीमपुर नं०-291 खाता सं०-27, 29 का नामान्तरण वाद सं०-1683R27/22-23 को रद्ध करवाने हेतु दिये गये आवेदन के फलस्वरूप आरम्भ हुआ है। इस कार्यालय के पत्रांक-10/भू०सु०, दिनांक-06.01.2024 द्वारा अंचल अधिकारी, महेशपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक-63/रा०, दिनांक-19.01.2024 द्वारा राजस्व उप-निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख के साथ प्राप्त है। राजस्व उप-निरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, महेशपुर के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-सीमपुर थाना सं०-291 जमाबंदी नं०-37 दाग नं०-27 रकवा 68.51 डिसमील भूमि दीपक कुमार पिता-वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से पंजी-2 पेज नं०-11/18 में नामान्तरण वाद सं०-1683/22-23 के द्वारा दर्ज है, जिसका नामान्तरण पेज नं०-67 Vol-1 से खारिज किया जाना था भूलवश नामान्तरण पेज नं०-101 Vol-1 से खारिज हो गया है। नामान्तरण वाद सं०-1683/22-23 को रद्ध करने की अनुशंसा किये है।

जाँच प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख का गहन अध्ययन किया। अंचल अधिकारी, महेशपुर के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अधिकारी, महेशपुर के नामान्तरण वाद सं०-1683/22-23 को रद्ध किया जाता है। अंचल अधिकारी, महेशपुर आदेशानुसार पंजी-2 में संशोधन करेंगे।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महेशपुर को भेजें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
पाकुड़।